

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संज्ञित पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य अधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अथवा लिंक जहाँ जिससे सविधा हो।



गान : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jurg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4105

दिनांक : 26.11.11

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2011 के पद क्रमांक (31) के निर्णयानुसार टी.एस.एस. महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एमएस-सी0 पूर्वाह्न (रसायन), बी0बी0ए0-प्रथम, बी0एस-सी0 प्रथम (बायोटेक्नोलॉजी-अतिरिक्त विषय) कार्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

### शर्त/प्रतिबंध :-

1. Furnishing of chemistry & biology laboratories.
2. Equipment viz spectrophotometer, centrifuge distillation unit, electrophoretic unit be purchased
3. Space of labs as per the 27/28 adhiniyam.
4. library books worth Rs. 50,000/- be purchased
5. Sports tools and play ground to be made.
6. Seat allotted in each course –
  - i. B.Sc. (Biotech.) - 60
  - ii. B.B.A. - 60
  - iii. M.Sc. (Chemistry) - 40

आदेशानुसार  
कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, टी.एस.एस. महाविद्यालय, मुरैना
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गो.म. : यूवीएसटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4323

दिनांक: 29/12/11

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध टी.एस.एस. महाविद्यालय, मुरैना (9425780001) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस-सी. (उत्तरार्द्ध रसायनशास्त्र) बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष, बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष, (बायोटेक्नोलॉजी, अति.वि.), बी.ए.(अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, आ.पा., संस्कृत, भूगोल), बी.कॉम. (समस्त अनिवार्य विषय, कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति.वि.), बी.सी.ए., बी.एस-सी. (गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, प्राणिकी, आ.पा., कम्प्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी अति.वि.), एम.ए. (अंग्रेजी, समाजशास्त्र हिन्दी), एम.एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस, प्राणिकी) एम.कॉम. एवं पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. ए.के. हल्वे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442769)

(2) डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


(3) डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(4) डॉ. एस.डी. सिसौदिया, उपाचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाये जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीवरिंठि  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5007

दिनांक : 4.6.12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के निर्णयानुसार टी.एस.एस. महाविद्यालय, मुरेना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस-सी. (उत्तम रसायनशास्त्र) बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष, बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष, (बायोटेक्नोलॉजी, अति.वि.), बी.ए. (अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, आ.पा., संस्कृत, भूगोल), बी.कॉम. (समस्त अनिवार्य विषय, कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति.वि.), बी.सी.ए., बी.एस-सी. (गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, प्राणिकी, आ. पा., कम्प्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी अति.वि.), एम.ए. (अंग्रेजी, समाजशास्त्र हिन्दी), एम. एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस, प्राणिकी) एम.कॉम. एवं पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. प्रयोगशाला तथा कम्प्यूटर लैब एवं उनके उपकरणों की संख्या वि.वि. परिनियम 27 के अनुसार की जावे।
2. कोर्स से संबंधित लीगल साफ्टवेयर आवंटित छात्र संख्या के आधार पर क्रय किये जावे।
3. परिनियम 28(17) के अनुसार शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जावे।
4. महाविद्यालय द्वारा वि.वि. को शपथ-पत्र दिया जावे कि नवीन भवन का प्रयोग महाविद्यालय प्रयोग हेतु ही किया जा रहा है।
5. 20 नये कम्प्यूटर एवं रु. 50,000/- की पुस्तकें क्रय की जावे।

आदेशानुसार  
कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, टी.एस.एस. महाविद्यालय, मुरेना
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)